फाइल नं0-71-1001/1542/2019

20/2023/I/288679/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 17 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में स्थित 08 नग माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2022-23/815, दिनांक 06.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में स्थित 08 नग माड्यूलर ओ0टी0 की अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में स्थित 08 नग माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 3108.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश दिनॉक 04.09.2014 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 3108.60 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 2953.17 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-1288/71-1-14-जी-131/2014, दिनॉक 04.09.2014	50.00
2	शासनादेश संख्या-74/2015/672/71-1-15-जी-131/2014, दिनॉक 27.03.2015	400.00
3	शासनादेश संख्या-219/2015/2690/71-1-15-जी-131/2014, दिनॉक 22.12.2015	529.71
4	शासनादेश संख्या-63/2016/918/71-1-16-जी-131/2014, दिनॉक 28.03.2016	112.35
5	शासनादेश संख्या-120/2016/1299/71-1-16-जी-131/2014, दिनॉक 16.05.2016	450.00
6	शासनादेश संख्या-152/2016/1946/71-1-16-जी-131/2014, दिनॉक 29.07.2016	95.44
7	शासनादेश संख्या-21/2017/3190/71-1-16-जी-131/2014, दिनॉक 10.02.2017	30.11
8	शासनादेश संख्या-89/2017/910/71-1-17-जी-131/2014, दिनॉक 12.07.2017	150.00
9	शासनादेश संख्या-154/2018/2115/71-1-18-जी-131/2014, दिनॉक 12.06.2018	250.00
10	शासनादेश संख्या-73/2018/4301/71-1-18-जी-131/2014, दिनॉक 15.10.2018	318.15
11	शासनादेश संख्या-11/2020/327/71-1-20-जी-131/2014, दिनॉक 14.02.2020	133.39
12	शासनादेश संख्या-174/2020/436/71-1-20-जी-131/2014, दिनॉक 29.12.2020	434.02
	योग-	**2953.17**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 06.03.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में स्थित 08 नग माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु अवशेष धनराशि (05 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 636.30 लाख के सापेक्ष **रू0 155.43 लाख (रू0 एक करोड़ पचपन लाख तैंतालिस हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5- अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7- शासनादेश संख्या-1288/71-1-14-जी-131/2014, दिनॉक 04.09.2014 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,55,43,000 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख तैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037890900 राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 /2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्यदिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।